राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन, के निधि लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 01/04/2014 से 31/03/2018

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्कृत महाविद्यालय सोलन के छात्र निधि लेखों से संम्बन्धित विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनिर्णीत पैरों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार है। वर्षों से अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1978 से 03/1983

1	पैरा 3	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1984 से 03/1992

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (क)	निर्णीत
5	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1992 से 03/1995

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8(क तथा ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1995 से 03/2014

1	पैरा 5 (i से v)	अनिर्णीत

2	पैरा 5 (vi)	निर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8 (i) से (iii)	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11	निर्णीत
9	पैरा 12	निर्णीत
10	पैरा 13	अनिर्णीत
11	पैरा 14	अनिर्णीत
12	पैरा 15	निर्णीत
13	पैरा 16	अनिर्णीत
14	पैरा 17	निर्णीत
15	पैरा 18	निर्णीत
16	पैरा 19	अनिर्णीत
17	पैरा 20	अनिर्णीत
18	पैरा 21	अनिर्णीत
19	पैरा 22	निर्णीत
20	पैरा 23	अनिर्णीत
21	पैरा 24	अनिर्णीत
22	पैरा 25	अनिर्णीत
23	पैरा 26	अनिर्णीत
24	पैरा 27	निर्णीत

25	पैरा 28	अनिर्णीत
26	पैरा 29 (i) से (iii)	अनिर्णीत
27	पैरा 30 (i)	अनिर्णीत
28	पैरा 30 (ii)(क से ग)	अनिर्णीत
29	पैरा 30 (iii) से (vii)	अनिर्णीत

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2018 तक के छात्र निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शायें गए है, श्री **अनिल कुमार**, अनुभाग अधिकारी तथा श्री **संदीप** कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा अवधि 3.10.18 से 12.10.18 तक के दौरान राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन, में किया गया। विस्तृत लेखा परीक्षण हेतु आय के लिए माह 06/2014, 06/2015, 06/2016, 06/2017 तथा व्यय के लिए माह 10/2014, 03/2016, 10/2016, 08/2017 का चयन किया गया था।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन **महाविद्यालय** द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा महाविद्यालय द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्क

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन, के छात्र निधि लेखाओं अवधि 01.04.2014 से 31.03.2018 तक **का अंकेक्षण शुल्क** ₹32,000 आंका गया है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के पत्र संख्या 03 दिनाँक 11/10/18 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया था तथा महाविद्यालय द्वारा ड्राफ्ट संख्या 006943/160532021 दिनाँक 12/10/2018 द्वारा ₹32000 का अकेक्षण शुल्क निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखाओं अवधि 01/04/2014 से 31/03/2018 तक की वितीय स्थिति **परिशिष्ट "क" से परिशिष्ट "क 2"** तक सलंग्न है। वित्तीय स्थिति की पड़ताल के दौरान निम्न लिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

4.1 रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव नहीं किया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या EDN-H(21)A (3) 21/2010 –V दिनांक 6 अप्रैल 2011 में भी क्रम संख्या 4.9 पर विभिन्न फंडों की रोकड़ बही के रखरखाव हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। मार्च 2017 में वितीय वर्ष के अंत में रोकड़ बही में वार्षिक समापन (क्लोजिंग) नहीं किया गया था। रोकड़ बही में कई जगहों पर दो या तीन महीनों की रोकड़ बही एक ही पृष्ठ पर बिना मासिक आधार पर शेष निकाले लिखी गयी थी। रोकड़ बहियों में कई पृष्ठों पर कटिंग तथा ओवर राइटिंग पाई गई है जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। माह के अंत में हस्तगत शेष बारे आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। जोकि हिमाचल प्रदेश शिक्षा सहिंता के नियम 4.9 में दिए गए दिशा निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः उपरोक्त त्रुटियों बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए एवं भविष्य में रोकड़ बही का रख रखाव नियमों व दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 सावधि निवेश का लेखा जोखा न रखना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.18 को छात्र निधियों से ₹7,62,000 सावधि जमा में निवेशित थे तथा अंकेक्षण अवधि में सावधि जमा में निवेश तथा परिपक्कता पर भुनाने/पुनः निवेश से सम्बंधित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण प्राप्त ब्याज व पुनः निवेश की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः इस सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि सावधि जमा निवेश रजिस्टर का रख रखाव सुनिश्चित किया जाए जिसमें सावधि जमा खाता संख्या, ब्याज की दर, अवधि इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण दिया गया हो ताकि प्राप्त ब्याज /पुनः

निवेश की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव हो सके।

5 वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ₹0.56 लाख के ब्याज की अतिरिक्त आय से वंचित होना

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्न वर्णित अवधि के दौरान महाविद्यालय द्वारा छात्र निधि से किसी भी राशि का सावधि जमा में निवेश नहीं किया गया था जबकि छात्र निधि बचत खातों में लाखों रूपये की राशि बिना उचित निवेश के अनुपयोग शेष जमा थी जिसे यदि निधि से व्यय की आवश्यकता को ध्यान में रख कर समय–2 पर उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा में निवेश किया जाता तो इस से महाविद्यालय को निम्नविवरणानुसार ₹56170 की ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त होती। परन्तु कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में वर्णित सम्भावित अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित होना पड़ा। अतः सुझाव दिया जाता है कि महाविद्यालय में छात्र निधियों में एकत्रित आधिक्य (Surplus) राशि को उचित भागों में बांटकर सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक साविध जमा निवेश को समय पूर्व भी भुनाया जा सके तथा निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सकेः–

क्र० सं०	अवधि	अवधि के दौरान पासबुक के अनुसार न्यूनतम शेष (₹)	75 प्रतिशत राशि जो कि सावधि जमा में निवेश की जा सकती थी (₹)	4 % अतिरिक्त ब्याज की दर से प्राप्त होने वाली आय (₹)
छात्र निधि				
1	2014-15 31.03.2015 का अंतिम शेष	714995.67	536247	21450
2	4/15 से 7/15	672556.67	504418	6726
3	3/16	727548.67	545662	1819
4	4/16 से 6/16	668432.67	501325	5013
5	7/16 से 3/17	637450.67	478088	14343
6	4/17 से 6/17	604830.67	453623	4536
7	7/17	913200.67	684901	2283
			योग	**₹56170**

6 **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव उचित तरीके से न करना**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि रसीद बुकों से सम्बंधित स्टॉक रजिस्टर का उचित रख रखाव नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान रसीद बुकों के क्रय किये जाने, जारी किये जाने, इस्तेमाल किये जाने बारे तथा इनके आरंभिक व अंतिम शेषों की पड़ताल सम्भव नहीं हो सकी।अंकेक्षण अध्याचना संख्या 2 दिनांक 10/10/18 द्वारा भी इस बारे जानकारी मांगी गयी थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गयीI ऐसी अवस्था में रसीद बुकों के दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ साथ अपने स्तर पर 04/14 से 03/18 तक रसीद बुक के स्टॉक की विस्तृत पड़ताल के उपरान्त तथा रसीद बुक स्टाक रजिस्टर को तैयार करके वस्तुस्थिति सहित कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उपरोक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति ना हो।

7 **चालानों द्वारा सरकारी कोष में जमा राशि का मिलान न करना**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि छात्रों से प्राप्त शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, इत्यादि की राशियों को विभिन्न चालानों द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाया गया था परन्तु महाविद्यालय द्वारा समय–2 पर जमा करवाई गई इन राशियों का सम्बन्धित कोष कार्यालय से जमा विवरणी प्राप्त करके मिलान नहीं किया गया जा रहा था जिसके कारण जमा करवाई गई राशियों की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं हो पाई। अतः सरकारी कोष के साथ मिलान न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक कार्यवाही करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुरावृति न हो यहे भी सुनिश्चित किया जाए।

8 **छात्र निधियों से सम्बन्धित प्राप्त राशियों को निधि बैंक खातों में विलम्ब से जमा करवाना**

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त निधि / प्रवेश शुल्क की राशियों को सम्बन्धित बैंक खातों / सरकारी कोष में जमा की पड़ताल करने पर पाया गया कि छात्रों से प्राप्त निधियों / शुल्क की राशियों को बैंक /सरकारी कोष में विलम्ब से जमा करवाया जा रहा था जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके कुछ उदहारण निम्नलिखित हैं। इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में छात्रों से प्राप्त निधि राशियों को बैंक खातों / सरकारी कोष में नियमानुसार उसी दिन या अगले कार्य दिवस को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	निधि का विवरण	निधि प्राप्ति की अवधि	अवधि के दौरान प्राप्त राशि (₹)	संबधित बैंक खाते में जमा करवाने की

				तिथि (₹)
1	प्रवेश शुल्क/वार्षिक शुल्क / फंड इत्यादि	19/6/14 से 20/6/14	93530/-	25/6/14
2	यथोपरि	25/6/14	12440/-	27/6/14
3	यथोपरि	27/6/14	6180/-	2/7/14
4	यथोपरि	28/6/14	3060/-	2/7/14
5	यथोपरि	27/6/15	57940/-	30/6/15
6	यथोपरि	1/6/16 से 4/6/16	13080/-	13/6/16
7	यथोपरि	23/6/16 से 25/6/16	91870/-	28/6/16
8	यथोपरि	30/6/16	33680/-	11/7/16
9	यथोपरि	1/6/17	2705/-	8/6/17
10	यथोपरि	23/6/17	48045/-	30/6/17
11	यथोपरि	24/6/17 से 29/6/17	67915/- (25665/- दिनांक 24/6/17 के लिए	30/6/17
12	यथोपरि	30/6/17	8815/-	5/7/17
		कुल योग	**₹439260**	

9 भुगतान के विरूद्व वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

लेखा परीक्षा में चयनित मासों के छात्र निधि व्यय का अंकेक्षण करने के दौरान निम्न भुगतानों की वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीदें प्रस्तुत नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वर्णित रसीदें अब प्राप्त करके उन्हें आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

माह	निधि का विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ	राशि (₹)	विवरण

		संख्या		
10/2014	विश्वविद्यालय निधि	3	720	रजिस्ट्रेशन फी
10/2014	पुस्तक पुन: स्थापना निधि	3	144585	लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर की खरीद
10/2014	फर्नीचर रिपेयर निधि	3	35415	लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर की खरीद
10/2014	विश्वविद्यालय निधि	3	570	रजिस्ट्रेशन फी
03/2016	सांस्कृतिक कार्यक्रम निधि	17	3850	10 छात्रों को संस्कृत प्रतियोगिता हेतु बस किराया, डी० ए०,व रिफ्रेशमेंट का भुगतान ₹385 की दर से किया गया।

10 सावधिक जमा पर प्राप्त ब्याज व स्त्रोत पर आयकर कटौती की Refund राशि को छात्र निधियों में बांटकर जमा न करना

माह 03/2016 में छात्र निधि की समेकित रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 17 पर ₹249 व ₹7047 की प्राप्ति 'सावधि जमा पर TDS refund' प्राप्ति के रूप में तथा दिनांक 31/03/2018 को ₹9198 (9111+87) की राशि प्राप्त ब्याज के रूप में दर्शाई गयी थी जिसे किसी भी निधि में वितरित नहीं किया गया था जोकि अनियमित है क्योकि इसके अभाव में प्राप्त राशि का उपयोग कर पाना संभव नहीं हो पायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या EDN-H(21)A (3) 21/2010 –V दिनांक 6 अप्रैल 2011 में भी क्रम संख्या 4.6 पर विभिन्न फंडों की रोकड़ बहियों व बैंक खातों के रखरखाव हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं जबकि महाविद्यालय द्वारा सभी निधियों के लिए केवल दो ही बैंक खाते खोले गए हैं, एक खाता छात्र निधियों हेतु तथा दूसरा छात्रावास निधियों हेतु खोला गया है। अतः वर्णित अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्राप्ति राशियों को उचित हिस्से में बांटकर सम्बन्धित निधियों में जमा करने के साथ-2 सरकार व शिक्षा निदेशालय द्वारा समय समय पर इस सन्दर्भ में जारी किये गए दिशा निर्देशों की भी निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 बिना निविदाएं (quotations)आमंत्रित किये वस्तुओं का क्रय करना

छात्र निधि से चयनित मासों के व्यय की पड़ताल करने के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में वस्तुओं के क्रय से पूर्व निविदाएं आंमत्रित नही की गई थी जबकि HPFR- 2009 के नियम 98 में वर्णित प्रावधानानुसार ₹3000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं का क्रय निविदाओं के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित था। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्त्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में वस्तुओं का क्रय नियमानुसार विहित प्रकिया अपनाने के पश्चात ही किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सके:–

माह	वाउचर संख्या	निधि का नाम	रोकड़ बही पृष्ठ	राशि (₹)	विवरण

			संख्या		
3/16	77	मिश्रित निधि	17	37190	Items purchased for repair of Unserviceable broken furniture i.e. board, ply, laminates, fevicol. From Chandigarh Sales, Solan.
3/16	72	गृह परीक्षा निधि	17	5650	Printing of Answer Sheets from First Look Printers, Solan.
10/16	105	पुस्तक पुनर्निर्माण निधि	24	16000	Binding of Books from Golu Printers, Solan
		विद्यार्थी सहायता निधि	24	19100	Binding of Books from Golu Printers, Solan
8/2017	145	मिश्रित निधि	29	6000	Printing of Prospectus from First look printers, solan
8/2017	148	स्काउट व गाइड निधि	29	6394	Uniforms for boys from Kamal Readymade works, solan.
				13209	Uniforms for girls from Kamal Readymade works, solan.

12 मिश्रित निधि से ₹0.13 लाख का अनियमित भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से माह सितम्बर 2015 में ₹5000 व ₹8000 डा० उत्तम चंद को खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अग्रिम के रूप में प्रदान किये गए थे। माह नवम्बर 2015 में अग्रिम समायोजन के दौरान अग्रिम राशि एवं कुल व्यय को तो क्रीडा निधि को प्रभारित कर दिया गया था लेकिन साथ में उक्त अग्रिम राशि को मिश्रित निधि की रोकड़ बही में वापिस जमा नहीं किया गया जोकि अनियमित है। वैसे भी उक्त ₹13000 का व्यय नियमानुसार मिश्रित निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है। अतः अब उक्त अनियमितता को ₹13000 की राशि क्रीडा निधि (Sports Fund) से मिश्रित निधि को अन्तरित (Transfer) अंतरिम करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

13 विभिन्न छात्र निधियों से ₹1.99 लाख का अनाधिकृत व्यय

छात्र निधियों से चयनित मासों के व्यय की पड़ताल करने के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्न विवरणानुसार विभिन्न निधियों से ₹199100 का व्यय किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत इन निधियों पर उचित प्रभार प्रतीत नही होता है। अतः इस बारे

नियमानुसार स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माह	निधि का विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)	टिपण्णी
10/2014	पुस्तक पुन: स्थापना निधि	3	144585	पुस्तकालय हेतु फर्नीचर खरीदा गया। उच्च शिक्षा निदेशक महोदय के पत्र संख्या EDN-H(8)SKT 2/98 दिनांक 4/9/2014 के अनुसार अनुमोदन मिश्रित निधि से खर्च करने हेतु किया गया था।
10/2014	फर्नीचर रिपेयर निधि	3	35415	
10/2016	विद्यार्थी सहायता निधि	24	19100	पुस्तकालय की किताबों की जिल्द / binding हेतु खर्च किया गया था।
	कुल		199100	

14 बिलों/कैंश मैमों पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र निर्दिष्ट न करना

छात्र निधि से चयनित मासों के व्यय की पड़ताल करने के दौरान पाया गया कि अधिकतम बिलों/कैंश मैमों पर हिमाचल प्रदेश वितीय नियमावली, 2009 के नियम 97 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र निर्दिष्ट नहीं किये जा रहे थे जोकि वर्णित नियमों की अवहेलना है। अतः इस विषय में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मैगजीन का मुद्रण व वितरण न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से मैगज़ीन निधि शुल्क वसूल किया जा रहा है जिसका उद्देश्य शिक्षा निदेशालय के ज्ञापन सं0 शिक्षा–एच(21)–विविध–2001, दिनाँक 04.11.2004 द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष छात्र/छात्राओं के लिए मैंगजीन का मुद्रण करवाने व वितरण करना अनिवार्य है ताकि छात्र/छात्राओं को इस का पूरा लाभ मिल सके। दिनाँक 31/03/2018 को मैगजीन फण्ड में ₹32227 शेष जमा थे तथा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015 के उपरान्त महाविद्यालय ने मगज़ीन का मुद्रण नहीं करवाया है। जोंकि उक्त वर्णित निर्देशों की अवहलेना है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में निर्देशानुसार नियमित रूप से मैगजीन का मुद्रण तथा छात्र/छात्राओं में वितरण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए

16 स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

अंकेक्षण के दौरान मौखिक रूप से कई बार स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक

यह अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नियमानुसार नियमित रूप से स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ही नही करवाया जा रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 140 तथा 141 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रक्रिया अनुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जाना अनिवार्य है तथा इसके अभाव में न तो स्टोर/स्टॉक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है और न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारन किया जा सकता है। अतः वर्णित अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के साथ इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

17 विविध

(क) अंकेक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाना

(i) स्टोर/ स्टॉक की कुछ मदों का अन्तरण विभिन्न छात्र निधि स्टॉक /स्टोर रजिस्टर से स्थाई स्टॉक / स्टोर रजिस्टर में किया गया था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 2 अदद स्टील अलमारी (@ 6245 कुल मूल्य ₹12490) जो कि पुस्तकालय निधि तथा खेल निधि से खरीदी गई थी, का अन्तरण स्थाई स्टॉक रजिस्टर (पृष्ट संख्या 1) में किया दर्शाया गया था परन्तु अन्तरण प्रविष्टि के सत्यापन हेतु सम्बन्धित अभिलेख / रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

(ii) हॉस्टल के बिजली एवं पानी के बिलों के भुगतान से सम्बंधित रजिस्टरों को अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया। मौखिक रूप से बताया गया कि उक्त रजिस्टरों का संधारण नहीं किया जा रहा है जोकि अनियमित है तथा जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में इन रजिस्टरों का उचित रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ₹0.38 लाख के विविध रख रखाव खर्चों की सम्बधित रजिस्टर में प्रविष्टि न करना

चयनित माह में स्टोर /स्टॉक की जाँच के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा विभिन्न मदों के रख रखाव पर व्यय की गई राशि की सम्बन्धित रख रखाव रजिस्टर/विविध रजिस्टर में प्रविष्टी नहीं की जा रही थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में वर्णित रजिस्टरों का उचित रख रखाव/विविध रजिस्टरों में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है : -

क्र. संख्या	बीजक संख्या	दिनांक	सामग्री / सेवाए	मूल्य

1	128	14/9/16	पुष्प नाम लेखन	800/-
2	717	6/10/16	पुस्तक जिल्दबंदी	16000/-
3	718	7/10/16	पुस्तक जिल्दबंदी	19100/-
4	024	19/8/17	टोंनर रिफिल	779/-
5	5351	14/8/17	विविध खर्च	338/-
6	928	15/8/17	विविध खर्च	110/-
7	1904	15/8/17	विविध खर्च	720/-
			कुल योग	**₹37847/-**

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

19 **निष्कर्षः–** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(हेम राज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच (2)सी(15) xi(iv)45/84–खण्ड–2–8276–8278 दिनांक 19.12.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, (उच्चत्तर शिक्षा) शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171001

2 उप सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 शिमला–171002

पंजीकृत 3 प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय (संस्कृत) सोलन, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाही करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(हेम राज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881